BOARD OF TECHNICAL EDUCATION, UTTAR PRADESH

EXTENSION OF AFFILIATION FOR EXISTING INSTITUTIONS, SESSION 2021-2022

INSTITUTE INFORMATION

Institute Code* 1974		Name of Institution* DISHA INSTITUTE OF PHARMACY, MAUJANPUR JAITRA, NETAPUR ROAD, DHA						
West		2018						
Institute Type*								
Engineering And Technology								
Pharmacy	PCI Perm	PCI Permanent ID*						
	PCI - 52	27						
UPLOAD ORIGINAL PCI EOA LETTER ONLY(2021-22)*							
Choose File No file chosen								
Course Details With Intake								
Name of Course *		Sanction Intake (2021-2022) *	Sanction Intake (2020-2021) *	Remarks *	Action			
DIPLOMA IN PHARMACY214	•	60	60	No Change ✓	+			
			1					
✓ I hereby declare that the details furnished	ed above are true and corre	ect to the best of my	knowledge and belief.					
Submit								

© Copyrights <u>URISE</u> 2020. All Rights Reserved.

कार्यालय, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनकः दिनाँकः 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप-ः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेंसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सन्न 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यकम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यकम संचातित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन

विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यकम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020—21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यकम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020—21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार—विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुकम में सत्र 2020—21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुकम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यकम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :--

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाद्यकम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020–21 में अनुगोदित प्रवेश क्षगता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020–21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1974	दिशा इंस्टीद्यूट ऑफ फार्मेशी मीजनपुर, जन्न, नेतापुर रोड, धामपुर, बिजनीर।	ढिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्ते

✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० / पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शतौँ का पूर्णतः पालन करेगी।

संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, संमेस्टर विनियमवाली—2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यकमों हेतु रू० 30,150.00/-प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यकम हेतु रू०— 45,000.00/-प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यकमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यकम के अतिरिक्त) हेतु रू०—22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। जपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर

Maria della della

शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020—21 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

र संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना)

विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

√ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त
रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

√ संस्था को समय─समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुक्क जमा करना होगा।

- ४ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई० / पी०सी०आई० सं आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उठप्रठ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उठप्रठ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उठप्रठ द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेंसी पाठ्यकम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीठसीठआई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठिमूनि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

√ संस्था को शिक्षण—प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यकम को बलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अमिलेख, मूमि–भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यकम के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

🗸 सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में

नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आर०के० सिंह) सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद् दिनोंकः 15-09-2020

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य / निदेशक, दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मौजनपुर, जत्रा, नेतापुर रोड, धामपुर, बिजनौर।

> (डा० आर०के० सिंह) सचिव